संख्या- 167 /2018/आर.एफ./078/नौ-9-18-109आर.एफ.//16

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, मसवासी, जनपद- रामपुर ।

नगर विकास अनुभाग- 9 लखनऊ : दिनांक 05 दिसम्बर, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में **पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37** से ब्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृति करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-02/2017/आरएफ-1491/नौ-9-2017-109आरएफ/16, दिनांक 03 जनवरी, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में नया सेवरा नगर विकास योजनान्तर्गत '(वर्तमान में **पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना) अनुदान संख्या-37** के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पंचायत मसवासी, जनपद- रामपुर को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु **रू0 592.08** लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **रू0 100.00** लाख अवमुक्त की गयी। उक्त अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की जिलाधिकारी, रामपुर द्वारा गठित संयुक्त टीम की सत्यापन रिपोर्ट के दृष्टिगत अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। अतः निम्नलिखित शर्तो के अन्तर्गत **नगर पंचायत मसवासी, जनपद- रामपुर को अवशेष धनराशि रू0 492.08 लाख (रूपये चार करोड बान्नवे लाख आठ हजार मात्र)** अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है -:

(1) उक्त व्यय चालू वित्तीय **वर्ष 2018-19** के आय-व्ययक की **अनुदान संख्या-37** के **लेखा शीर्षक-'6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-02-मलजल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-05-पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण** के नामे डाला जायेगा।

(2) सम्बन्धित निकाय द्वारा चालू कार्यो हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का बिल जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में धनराशि स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2019 तक करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(4) शासनादेश संख्या-02/2017/आरएफ-1491/नौ-9-2017109आरएफ/16, दिनांक 03 जनवरी, 2017 में उल्लिखित शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

2. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप, संख्या- 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिधानित प्रशासकीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

5/12/18

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-167 /2018/आर.एफ/078 (1)/नौ-9.2018 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. कोषाधिकारी, रामपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. सम्बन्धित नगर पंचायत, अध्यक्ष, उ0प्र0।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-9
9. गार्ड फाइल।
10. वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

o/c

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-05/12/2018

प्रेषण संख्या:-	167
आवंटन आदेश संख्या:-	001-167-2018-RF1078-9-9-18-109RF-16
अनुदान संख्या:-	37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:-	6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय) 02 - मल-जल तथा सफाई 193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता 05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	रामपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	49208000 49208000	49208000 49208000
	योग	वर्तमान प्रगामी	49208000 49208000	49208000 49208000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़ बानवे लाख आठ हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ बानवे लाख आठ हजार

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव